भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4162

दिनांक 18.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेजयल की कमी

4162. डॉ॰ ए॰ चैल्ला कुमारः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षों में भूजल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव और मानसून की विफलता के कारण देश में विशेषकर तमिलनाडु के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जल राज्य का विषय है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आरंभ होने तथा अरब सागर से उठने वाले अति गंभीर चक्रवाती तूफान ''वायु'' की उत्पत्ति तथा गति के चलते देश भर में मॉनसून के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में एक सप्ताह की देरी हुई है। आईएमडी द्वारा दक्षिण पश्चिमी मॉनसून ऋतु 2019 के लिए कम वर्षा का पूर्वानुमान नहीं किया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश में निगरानी किए गए कुंओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर वर्ष में

चार बार भू-जल की मॉनीटरिंग कराता है। दीर्घ-कालीन आधार पर जल स्तर की घटती/बढ़ती प्रवृत्ति के आकलन के लिए वर्ष 2018 के जल स्तर के पूर्व-मॉनसून आकड़ों की तुलना दशावधी औसत (2008-2017) जल स्तर से की जाती है। आंकड़ों के विश्लषण दर्शाते हैं कि लगभग 52% कुंओं में भू-जल स्तर में कमी हुई है और 48% कुंओं में बढ़ोत्तरी को मॉनीटर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) देश में भू-जल के संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन पहलों की जिम्मेदारी मूलत: राज्यों की है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार हेतु यह मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत ग्रामीण पेयजलापूर्ति के कवरेज हेतु तमिलनाडु राज्य के लिए 167.31 करोड़ रुपए सहित राज्यों को 5466.24 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। पेयजल संकट की स्थिति में, राज्य पेयजलापूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए फ्लेक्सी घटक के तहत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का 25% तक उपयोग कर सकते हैं।